न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—77/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00077)

1. हनुमान पुत्र श्री रोडू, जाति जाट, निवासी मांगलवाडा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. रामधन पुत्र श्री हरकरण
2. बजरंग पुत्र श्री छीतर
3. हनुमान पुत्र श्री छीतर
4. नानूराम पुत्र श्री छीतर

समस्त जाति जाट निवासी मांगलवाडा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

5. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सेवा, जरिए प्रबंधक, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
6. एस0बी0बी0जे0 शाखा दूदू जरिए प्रबंधक तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, दूदू (मौजमाबाद) जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

8. रामकुवांर पुत्र श्री श्योराम
9. बाबूलाल पुत्र श्री श्योराम

समस्त जाति जाट, निवासी मांगलवाडा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर,(फास्ट ट्रेक) दूदू, राजस्व वाद संख्या 310/2012 (589/2013)

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामजीलाल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री मोहित सैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 06
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 07
5. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 8 व 9 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—13.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 310/2012 (589/2013) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी, बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अपीलांट व शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। उक्त वाद पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6/अपीलांट व प्रो0 रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध अवैधानिक रूप से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, तत्पश्चात दिनांक 22.7.2015 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया एवं वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित बहामी बंटवारा अनुसार राजीनामे में यथावत अंकन करते हुए डिक्री जारी करने का कथन किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.7.2019 को अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए कि बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अथवा मुताबिक राजीनामा तकासमा किया जाता है प्राथमिक आज्ञप्ति जारी कर दी गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 310/2012 (589/2013) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 8 व 9 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा बहामी बंटवारा दिनांक 13.6.2014 के विपरीत आज्ञप्ति जारी की गई, जबकि प्रार्थी बहामी बंटवारा अनुसार अपने हिस्से में आई आराजीयात खसरा संख्या 1429 रकबा 0.87 हैक्टर, 1427 रकबा 0.01 हैक्टर सम्पूर्ण, 1428 रकबा 2.33 हैक्टर के 1/2 हिस्से पर, 1416 रकबा 1.01 हैक्टर के 3/4 हिस्से पर, 1426 की पश्चिमी मेड पर 15 फीट चौडे रास्ते पर काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन त्रुटिपूर्ण रूप से पारित प्राथमिक आज्ञप्ति दिनांक 17.7.2019 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से कुरेजात रिपोर्ट मुर्तिब कर प्रस्तुत कर दी गई, जिसकी जानकारी दिनांक 11.3.2020 को हल्का पटवारी से नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त करने पर हुई, तत्पश्चात अभिभाषक महोदय से सम्पर्क किया जिन्होंने अजमेर जाकर अपील प्रस्तुत करने की कानूनी सलाह प्रदान की। जिस पर प्रार्थी दिनांक 18.3.2020 को अजमेर आकर अभिभाषक से मिले, जिन्होंने उसी दिन अपील तैयार करवाई व आज जानकारी से अन्दर मियाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत पक्षकारान के मध्य रूबरू गवाहान यथा हनुमान पुत्र श्री रामेश्वर एवं चतराराम पुत्र श्री मुकनाराम दिनांक 13.6.2014 को इकरारनामा बाबत विभाजन निष्पादित किया जाकर दिनांक 16.6.2014 को नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवा गया था, उक्त बंटवारा के अनुसार ही पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। पक्षकारान के मध्य हुए आपसी बंटवारे के विपरीत वादी द्वारा वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में बहामी बंटवारे का अंकन कर वाद पत्र डिक्री करवा लिया तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में भी बहामी बंटवारा दिनांक 13.6.2014 के विपरीत अंकन कर दिया। खसरा संख्या 1426 की पश्चिमी मेड पर 15 फुट चौडा रास्ता अपीलांट को प्रदान किया गया है लेकिन परीक्षण न्यायालय द्वारा इस बाबत अपने निर्णय में कोई अंकन नहीं किया गया, बल्कि एक तरफ बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किए जाने व दूसरी ओर सहमति अनुसार बंटवारा करने बाबत अंकन कर दिया जो दोनों बाते एक दूसरे की विरोधाभासी होकर निर्णय व प्राथमिक आज्ञप्ति निरस्त योग्य है। अधिकार अभिलेख में खसरा संख्या 1429 के अपीलांट्स सहखातेदार दर्ज नहीं है, जबकि बहामी बंटवरे में उक्त भूमि अपीलांट के हिस्से में रखी गई है, लेकिन परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ऐसी स्थिति में अनुपस्थिति के बावजूद अपीलांट्स को खातेदार उदघोषित नहीं किया जा सकता। परीक्षण न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के साथ–साथ सहमति के आधार पर भी बंटवारा करने हेतु निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई जबकि अपीलांट्स अनुपस्थित रहने के कारण समस्त पक्षकारों द्वारा सहमति/स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी जिसके अभाव में सहमति पूर्ण रूप से बंटवारा कतई संभव नहीं था। खसरा संख्या 1416 में हनुमान तथा मृतक श्योजी के वारिसान खातेदार दर्ज नहीं है, लेकिन राजीनामे में 3/4 हिस्सा हनुमान, श्योराम के हिस्से में तथा 1/4 हिस्सा बजरंग, हनुमान व नानू के हिस्से में रखा गया एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण रकबा नानू, बजरंग व हनुमान पुत्रान छीतर के हिस्से में रख दिया गया है। इस प्रकार आधे से अधिक खसरा नम्बरान का बंटवारा बहामी बंटवारे व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

काबिज स्थिति के विपरीत कर दिया गया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 310/2012 (589/2013) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2019 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश कर कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 145 के आराजी खसरा नम्बर 1426 रकबा 1.47 है0, खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.87 है0, खतौनी संख्या 263 के आराजी खसरा नम्बर 1416 रकबा 1.01 है0, खतौनी संख्या 358 के आराजी खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1428 रकबा 2.33 है0 खतौनी संख्या 359 के आराजी खसरा नम्बर 1417 रकबा 1.01 है0 वाकै ग्राम मांगलवाडा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादी खतौनी संख्या 145 में 1/3 हिस्से का खतौनी संख्या 358 में 1/3 हिस्से का खतौनी संख्या 263 में 1/2 हिस्से का खतौनी संख्या 358 में 1/3 हिस्से का खतौनी संख्या 359 में 1/2 हिस्से का एंव प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। उपरोक्त विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात है परंतु मौके पर पक्षकार ने आज से काफी वर्षों पूर्व मौके पर अपने–अपने हिस्से का बाहमी बंटवारा कर लिया है जो वाद पत्र में अंकित है। खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह वादी व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 ने बाहमी बंटवारा में शामलाती बांट रखा है एवं बाहमी बंटवारे अनुसार ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। जिसको वाद–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में वादी के हिस्से को पीले रंग से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से को हरे रंग से प्रतिवादी 4 लगायत 6 के हिस्से को लाल रंग से दर्शित किया गया है। मौके पर विभाजन कर रखा है इसलिए उपरोक्त अनुसार घोषणा फरमाई जाकर विधिवत तकासमा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार फरमाया जावे। पक्षकारान के पुर्वजों के नाम से वरवक्त पर्चा सैटलमेंट खसरा नम्बर 1417 का पर्चा स्व0 हरकरण व रोडु के नाम से आ गया था, जबकि पर्चा पश्चात हुए बंटवारा में उक्त आराजी पर स्व0 छीतर को प्राप्त होने से उसे वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के कब्जे काश्त में चली आ रही है एवं खसरा नम्बर 1429 का वरवक्त पर्चा सेटलमेंट स्व0 छीतर व हरकरण के नाम से आया था लेकिन विभाजन में प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता को प्राप्त था जिस पर पुश्तैनी रूप से काबिज काश्त है एवं इसी अनुसार घोषणा व आराजी का तकासमा चाहा गया है। विवादित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में तकासमा नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आए दिन मेर कोर को लेकर विवाद रहने लग गया है। विवादित आराजीयात में वादी ने अपने हिस्से पर मेडबंदी करके काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया है, जिससे प्रतिवादीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है। अब तक वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे थे। राजस्व रिकार्ड में तकासमा नहीं होने के कारण वादी राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का भी लाभ नहीं उठा पा रहा है। वादी ने अपने हिस्से की आराजीयात पर मेडबंदी कर ली है। तुलनात्मक रूप से वादी के हिस्से की आराजीयात प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजीयात से काफी उन्नत एवं उपजाऊ हो गई है। वर्तमान में जमीनों की कीमतों में भारी वृद्धि हो जाने के कारण प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई। दिनांक 17.6.2012 को वादी ने प्रतिवादीगण को विवादित आराजीयात का पैरा संख्या 2 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

वर्णित बाहमी बंटवारा अनुसार आराजीयात का तकासमा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण तकासमा करवाने से साफ इंकार हो गए जिससे वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी, बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अपीलांट व शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका सजरा पत्रावली पर उपलबध है। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजीयात है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6/अपीलांट व प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध वाद में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.7.2015 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3/रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया एवं वाद में वादी द्वारा अंकित बहामी बंटवारा अनुसार राजीनामे में यथावत अंकन करते हुए डिक्री जारी करने का कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.7.2019 को वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए।

मुताबिक जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 145, 263, 358, 359 वाकै ग्राम मांगलावाडा, तहसील मौजमाबाद के अनुसार विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4, 8 व 9 काबिज एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायायल द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने राजीनाम प्रस्तुत किया जिसके आधार पर उक्त अविभाजित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विभाजन किए जाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को जरिए राजीनामे के अनुसार डिक्री किया गया जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को डिक्री किया जाकर अपने निर्णय में यह वर्णित किया कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 145 के आराजी खसरा नम्बर 1426 रकबा 1.47 है0, खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.87 है0, खतौनी संख्या 263 के आराजी खसरा नम्बर 1416 रकबा 1.01 है0 खतौनी संख्या 358 के आराजी खसरा नम्बर 1427 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 1428 रकबा 2.33 है0, खतौनी संखय 359 के आराजी खसरा नम्बर 1417 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम मांगलवाडा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है। उक्त राजीनामे अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के सिद्धांत अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपने वाद पत्र में कहीं पर भी यह बताने में असफल रहे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय किस प्रकार से त्रुटिपूर्ण है या न्याय संगत नहीं है क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक पक्षकार को विधिवत रूप से नोटिस तामील करवाए गए थे व समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया गया था व पत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

उलपब्ध दस्तावेजात व राजीनामे के अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी पक्षकार का हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है व आपसी राजीनामे अनुसार ही विधिवत रूप से बंटवारा किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर व विधिक रूप से पारित किया है, जिसमें न्यायालय हाजा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 310/2012 (589/2013) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2019 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/02/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner